<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092025-266054 CG-DL-E-10092025-266054

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 2025/भाद्र 19, 1947

No. 244]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 2025/BHADRA 19, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय) सार्वजनिक सूचना नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2025

सं. 22 / 2025

विषयः प्रक्रिया पुस्तिका, 2023 के पैरा 4.53 में संशोधन।

फा. सं. 01/94/180/068/एएम25/पीसी-4.—समय-समय पर यथा संषोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा ऑनलाइन प्रणाली में सुधार सुविधा प्रदान करके व्यापार में सुगमता के उद्देश्य से प्रक्रिया पुस्तिका, 2023 के पैरा 4.53(ड़) को एक अतिरिक्त पैरा के रूप में शामिल करते हैं:

4.53 (ड़) ''अप्रयुक्त और हस्तांतरित न किए गए डीएफआइए, जो प्रणाली—संबंधी और सुधारात्मक प्रकृति के हों, में ऐसे संशोधनों के लिए आवेदन एएनएफ 4जी में दायर किए जाएँगे। ऐसे किसी भी संशोधन के लिए कार्यालय प्रमुख का अनुमोदन आवश्यक होगा।''

सार्वजनिक सूचना का प्रभावः व्यापार में सुगमता के लिए, डीएफआइए में कुछ संशोधनों की अनुमति है। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

- क) माप की इकाई में सुधार
- ख) आयातित वस्तु के आइटीसी एचएस कोड में सुधार
- ग) आयातित वस्तु के मूल्य में सुधार

अजय भाद्, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं अपर सचिव

6006 GI/2025 (1)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 9th September 2025

No. 22/2025

Subject: Amendments in Para 4.53 of the Handbook of Procedures, 2023.

F.No. 01/94/180/068/AM25/PC-4.—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby inserts an additional para as Para 4.53 (e) of the Handbook of Procedures 2023 for the purpose of ease of doing business by providing the correction facility in the online system:

4.53 (e) "An application for such amendments in unutilized and un-transferred DFIAs, which are system-related and corrective in nature, shall be filed in ANF 4G. Any such amendment would require approval of Head of Office."

Effect of the Public Notice: Certain amendments are allowed to DFIAs, for ease of doing business. Few illustrative examples are given below:

- a) Correction in Unit of Measurement
- b) Correction in ITC HS code of import item
- c) Correction in value of the import item

AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade & Addl. Secy.